



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 33417 वर्ष 2025

कंचन उर्फ भगत जी

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्ष पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता: मयंक

विपक्षी पक्ष(कों) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मयंक और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह की तर्क सुने और अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक कंचन उर्फ भगत जी की ओर से दायर की गई है, जिसमें एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/19, 29/60 के तहत मामला संख्या 112/2025, पुलिस स्टेशन फराह, जिला मथुरा में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी वाद में झूठा फंसाया गया है और वह 28.03.2025 से कारावास में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त लोकेन्द्र, राधाबल्लभ, धर्मेन्द्र और गुड्डू को इस न्यायालय द्वारा 08.01.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14322/2025, 14359/2025, 18878/2025 और 19223/2025 में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। एक वाद का आपराधिक इतिहास जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में स्पष्ट किया गया है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्याय से भागने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया वाद को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वाद की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त वाद में आरोपित आवेदक कंचन उर्फ भगत जी को, उक्त वाद में अपराध संख्या के आधार पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के स्वीय बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)

16 जनवरी, 2026

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।